GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS RAILWAY BOARD

No. 2017/NFR/1/1

New Delhi, dated 10/01/2017

The General Managers All Indian Railways

(Commercial Circular No. 4 of 2017)

Sub: Policy on Out of Home Advertising

Preamble:

Hon'ble Minister of Railways had announced during the Railway Budget 2016-17 that "Although we enjoy the highest captive eyeballs in a railway system internationally, we earn less than 5% of our revenues through non-tariff sources. Many of the world railway systems generate 10% to 20% of their revenues from non-tariff sources. Over a period of the next five years, we will strive to reach this world average by monetizing assets and undertaking other revenue yielding activities.

Indian Railways has vast physical infrastructure which is ripe for commercial exploitation through advertising. We intend to give special focus to exploiting advertising potential of our stations, trains and land adjacent to tracks outside of big stations. We will make efforts to use our customer-interfacing assets in every manner possible for earning advertising revenues. In all, we target to increase the advertising revenues by more than 4 times the current revenues."

Objective:

The objective of this policy is to lay out the various conditions in monetising advertising assets apart from the station area such as circulating areas of class A1-F category stations, Road over Bridges, Road under Bridges, level crossing gates, Railway

colonies, Railway workshops, Railway production units, Railway land along the tracks etc.

Main Features of the Policy:

Advertising Rights Approach:

- o Indian Railways shall offer advertising assets
 - at identified sites which are locations where existing contracts are operational
 - sites identified but at which no present contract is operational
 - locations have neither been allotted nor identified earlier by Railways
- The licensee shall have a rights based approach. No particular site or available space in terms of square metres shall be committed, except for the identified sites where Railways will grant the locations as far as feasible
- The license granted, by the rights based approach, shall include rights for all advertising assets owned by Indian Railways at the advertising locations in the areas as specified in the package and not part of the negative list

• Negative list of advertising assets:

 The negative list includes station building area, railway track land/ area situated within the stations building complex, foot over bridges (leading to the platforms), purely administrative offices, heritage buildings and other restricted areas

• Package sizes:

The advertising asset package sizes shall be offered for bidding for each zonal Railway separately, except for Mumbai area which will be combined for both Central and Western. However, Railway Board may combine several zones in a package in order to increase revenue from the assets. Even if the packages contain several zonal railways, the bid shall be offered for each Zonal Railway separately and the highest bid received cumulatively for the package shall be awarded the license. The agreement shall be signed by each Zonal Railway separately even in case of combined package Tendering Methodology:

- ORITES Limited in association with the PMMEA, shall invite open bids on behalf of the Zonal Railways after confirming the details about available sites which are in operation or have been identified but not under contract. The Zonal Railway will confirm the estimated earnings from all assets to RITES. RITES will not fix the estimated earnings from the tender packages which will be less than the estimated earnings determined by Zonal Railways.
- The bidding shall be conducted through ascending eauction method only

• Contract Tenure:

 Indian Railways shall grant advertising contracts for a tenure of 10 years

• Right of Refusal:

 The Right of First Refusal shall be offered to the Licensee after completion of the contract.

• Escalation clause

 The license fee shall escalate by 10% each year after 2 years.

Novation of existing contracts:

- Indian Railways shall novate the existing contracts to the licensee in order to enhance the value of advertising assets. The existing contracts or its revenue shall pass on to the licensee until the expiry of the contracts
- The advertising assets of existing commercial publicity contracts shall not form part of the license until after the expiry/termination of such contracts

Product display

 Licensee will be permitted to display products in the circulating areas without disrupting the flow of passengers in earmarked areas without any merchandising/sale.

Security Deposit and Payment:

 Indian Railways shall receive security deposit for an amount equivalent to the 6 (six) months License Fee for each year of the License Term by way of an irrevocable bank guarantee Indian Railways shall receive License Fee in advance in equated monthly instalments in the manner set out in the License Agreement.

Media Agnostic:

- Indian Railways shall allow the use of all forms of advertisement that is appropriate, safe and feasible for the corresponding advertising asset/ location subject to restrictions under any policy of the Authority or the Outdoor Advertisement Policy (OAP)
- Indian Railways shall allow the licensee to carry out advertising operations based on relevant laws, no interference with the operations of Indian Railways, not to affect the safety of passengers & train operation, facade of Heritage/ Station building

· Advertising plan:

Indian Railways shall assess the advertising plan on the basis of aesthetics, feasibility, safety and security, standards and specifications of the materials used and their technical or operational considerations. The Railways shall provide its comments on the same condition within 15 days of the receipt of the advertising plans.

Revenue share with municipal authorities:

 The licensee of Indian Railways shall not be liable to pay cess, assessment, statutory taxes, local levies, statutory dues that are due and payable by the Indian Railways, such as property tax, dues towards revenue sharing with a municipal authority/council etc.

• Bid Process Management:

- Indian Railways have appointed RITES as consultant who have appointed Ernst & Young as Professional Media Market Evaluation Agency (PMMEA)
- o RITES and PMMEA shall be responsible for overall Bid Process Management
- RITES and PMMEA shall prepare Tender Documents
- The PMMEA shall prepare the Notice Inviting Tender, with recommendations by RITES, to be approved and published by the concerned Zonal Railway

 RITES and PMMEA shall upload the NIT/ Tender document, addendum/ corrigendum to the tender after approval from the concerned Zonal Railway by arranging suitable etendering platform

o Estimated Earnings as projected by PMMEA will be

approved by the concerned Zonal Railways

o PMMEA shall receive and evaluate tenders.

RITES shall accept the tender and issue LOA

Zonal Railways shall sign and implement the agreement

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Kindly acknowledge the Receipt of this letter.

(Ranjan P. Thakur)

Executive Director (Traffic Commercial)

Non fare Revenue

Railway Board

No. 2017/NFR/1/1

New Delhi, dated 10/01/2017

Copy to: FA&CAO, All Indian Railways, for information & necessary action.

For Financial Commissioner, Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं.2017/एनएफआर/1/1

नई दिल्ली, दिनांक 10/01/2017

महाप्रबंधक सभी भारतीय रेलें

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.4)

विषय: आउट ऑफ होम विज्ञापन संबंधी नीति।

भूमिका:

माननीय रेल मंत्री ने रेल बजट 2016-17 के दौरान घोषणा की थी कि "यद्यपि भारतीय रेल के साथ वास्ता रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, तथापि हम किराए से इतर स्रोतों के जिरए 5% से भी कम राजस्व अर्जित करते हैं। विश्व की बहुत सी रेल प्रणालियाँ किराए से इतर स्रोतों से 10% से 20% राजस्व अर्जित करती हैं। अगले 5 वर्ष की अवधि में, हम पिरसंपित्तियों का मुद्रीकरण करके और राजस्व उपार्जक अन्य कार्यों से इस विश्व औसत को हासिल करने का प्रयास करेंगे।

भारतीय रेल के पास विशाल भौतिक आधारभूत संरचना है, जो विज्ञापन के जिरए वाणिज्यिक दोहन के लिए तैयार है। हम अपने स्टेशनों, गाड़ियों और बड़े स्टेशनों के बाहर रेलपथ के आस-पास की भूमि की विज्ञापन क्षमता के दोहन उठाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने पर विचार कर रहे हैं। हम विज्ञापन राजस्व अर्जित करने के लिए, जहां तक संभव हो सकेगा अपने ग्राहक-इंटरफेसिंग परिसंपत्तियों का उपयोग करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर, हमने विज्ञापन राजस्व को वर्तमान राजस्व से 4 गुना ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।"

<u>उद्देश्य:</u>

इस नीति का उद्देश्य है, स्टेशन क्षेत्र से इतर क्षेत्रों जैसे ए1-एफ श्रेणी के स्टेशनों के परिचलन क्षेत्रों, उपिर सड़क पुलों, निचले सड़क पुलों, समपार फाटकों, रेलवे कॉलोनी, रेल कारखानों, रेल उत्पादन इकाइयों, रेलपथ के साथ-साथ रेल भूमि आदि की परिसंपत्तियों से विज्ञापन मुद्रीकरण में विभिन्न शर्तें निर्धारित करना है।

नीति की मुख्य विशेषताएँ:

विज्ञापन अधिकार दृष्टिकोण:

- भारतीय रेल निम्नलिखित परिसंपित्तियों से विज्ञापन की पेशकश करेगी
 - चिहिनत साइट, वे लोकेशन हैं, जहां वर्तमान ठेके परिचालित हैं
 - चिहिनत साइट किन्तु जहां वर्तमान में कोई ठेका परिचालित नहीं है
 - वे लोकेशन, जो रेलवे द्वारा न तो कभी आवंटित किए गए हैं और न ही चिहिनत किए गए हैं
- लाइसेंसधारकों के पास अधिकार आधारित दृष्टिकोण होगा। चिहिनत साइट, जहां रेलवे द्वारा यथा संभव लोकेशन दिया जाएगा, से इतर कोई भी साइट अथवा उपलब्ध स्थान वर्ग फुट में प्रतिबद्ध न किया जाए।
- अधिकार आधारित दृष्टिकोण के आधार पर दिए गए लाइसेंस में भारतीय रेल द्वारा पैकेज में निर्दिष्ट क्षेत्रों और जो नकारात्मक सूची का भाग नहीं है, के विज्ञापन स्थानों पर सभी विज्ञापन परिसंपत्तियों के अधिकार शामिल होंगे।

विज्ञापन परिसंपत्तियों की नकारात्मक सूची:

 नकारात्मक सूची में स्टेशन भवन क्षेत्र, स्टेशन भवन परिसर में स्थित रेलपथ भूमि/क्षेत्र, ऊपरी पैदल पुल (प्लेटफार्मों पर जाने के लिए), पूर्णतः प्रशासनिक कार्यालय, धरोहर इमारतें और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र शामिल हैं।

पैकेज साइजः

प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे को बोली लगाने के लिए अलग-अलग विज्ञापन परिसंपत्ति पैकेज साइज़ की पेशकश की जाएगी, जिसमें मुंबई क्षेत्र शामिल नहीं है, जो मध्य और पश्चिम दोनों रेलों के लिए संयुक्त रूप से होगा। बहरहाल, रेलवे बोर्ड परिसंपत्तियों से राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों को एक ही पैकेज में मिला सकता है। पैकेजों में विभिन्न क्षेत्रीय रेलें शामिल होने पर भी, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के लिए अलग-अलग बोली की पेशकश की जाएगी और पैकेज के लिए प्राप्त उच्चतम बोली को लाइसेंस दिया जाएगा। संयुक्त पैकेज के मामले में भी प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा करार पर अलग-अलग हस्ताक्षर किए जाएंगे।

• निविदा देने की प्रक्रिया:

राइट्स लिमिटेड, पीएमएमईए के सहयोग से, उपलब्ध साइटों, जो परिचालन में हैं
 अथवा चिहिनत की गई हैं किन्तु ठेके में नहीं है, के विवरण की पुष्टि करने के बाद

क्षेत्रीय रेलों की ओर से खुली बोली आमंत्रित करेगा। क्षेत्रीय रेलवे, राइट्स को सभी पिरसंपित्तयों से प्राप्त अनुमानित आय की पुष्टि करेगा। राइट्स निविदा पैकेजों से अर्जित अनुमानित आय तय नहीं करेगा, जो क्षेत्रीय रेलों द्वारा निर्धारित अनुमानित आय से कम होगी।

बोली प्रक्रिया केवल आरोही ई-नीलामी पद्धित द्वारा ही की जाएगी।

• ठेके की अवधि:

भारतीय रेल विज्ञापन ठेका 10 वर्ष की अवधि के लिए देगा।

• असम्मति का अधिकार:

लाइसेंसधारी को ठेका पूरा होने के पश्चात पहली असम्मित के अधिकार की पेशकश
 की जाएगी।

• संवर्धन खंड:

लाइसेंस शुल्क 2 वर्ष के बाद प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ेगा।

मौजूदा ठेकों का नवीकरण:

- भारतीय रेल विज्ञापन संबंधी परिसंपत्तियों के मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से लाइसेंसधारी के मौजूदा ठेकों का नवीकरण करेगा। मौजूदा ठेके अथवा उनके राजस्व ठेकों के समाप्त होने तक लाइसेंसधारी को दिए जाएंगे।
- मौजूदा वाणिज्यिक प्रचार ठेकों की विज्ञापन संबंधी परिसंपिततयाँ, ऐसे ठेकों के समापन/निष्कासन होने तक लाइसेंस का भाग नहीं होंगी।

उत्पादों का प्रदर्शन:

 लाइसेंसधारी को परिचलन क्षेत्रों में निर्धारित किए गए क्षेत्रों में यात्रियों के आवागमन में बाधा पहुंचाए बिना, उत्पादों के प्रदर्शन की अनुमित दी जाएगी, जो क्रय-विक्रय/बिक्री के लिए नहीं होंगे।

प्रतिभ्ति जमा और भुगतान:

- भारतीय रेल को अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के माध्यम से लाइसेंस की अविध के प्रत्येक वर्ष के 6 (छह) माह की लाइसेंस शुल्क के समतुल्य सुरक्षा जमा राशि प्राप्त होगी।
- भारतीय रेल को लाइसेंस करार में दी गई पद्धित के अनुसार बराबर मासिक किश्तों में
 अग्रिम में लाइसेंस शुल्क प्राप्त होगा।

• मीडिया एग्नोस्टिक:

- भारतीय रेल, प्राधिकरण की किसी भी नीति अथवा आउटडोर विज्ञापन नीति (ओएपी)
 के तहत प्रतिबंधों के अध्यधीन तदनुरूपी विज्ञापन परिसंपित्त/स्थान के लिए उपयुक्त,
 सुरक्षित और व्यवहार्य विज्ञापन के सभी प्रकार के प्रयोग की अनुमित देगा।
- भारतीय रेल, लाइसेंसधारी को संगत कानून, भारतीय रेल के परिचालन में हस्तक्षेप के बिना, यात्रियों की सुरक्षा एवं गाड़ी परिचालन, धरोहर/स्टेशन भवन के अग्रभाग को प्रभावित किए बिना विज्ञापन संचालन करने की अनुमति देगा।

• विज्ञापन संबंधी योजना:

भारतीय रेल, विज्ञापन संबंधी योजना का मूल्यांकन साज-सज्जा, व्यवहार्यता, संरक्षा और सुरक्षा, उपयोग की गई सामग्रियों के मानकों और विशिष्टियों और उनके तकनीकी अथवा परिचालनिक दृष्टिकोण के आधार पर करेगा। रेलवे को विज्ञापन संबंधी योजनाओं के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इसी शर्त पर अपनी टिप्पणी देनी होगी।

नगरपालिका प्राधिकरणों के साथ राजस्व साझा करना:

 भारतीय रेल के लाइसेंसधारी बकाया सेस, मूल्यांकन, सांविधिक कर, स्थानीय लेवी, सांविधिक बकाया जैसे संपदा कर, जो बकाया हैं और भारतीय रेल द्वारा देय हैं, नगरपालिका प्राधिकरण/परिषद आदि के साथ राजस्व हिस्सेदारी के प्रति बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

• बोली प्रक्रिया प्रबंधन

- भारतीय रेल ने राइट्स को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जिसने अर्नेस्ट एंड यंग को प्रोफेशनल मीडिया मार्केट इवैल्यूएशन एजेंसी (पीएमएमईए) के रूप में नियुक्त किया है।
- राइट्स और पीएमएमईए पूर्ण बोली प्रक्रिया प्रबंधन के उत्तरदायी होंगे।
- राइट्स और पीएमएमईए निविदा दस्तावेज़ तैयार करेंगे।
- पीएमएमईए, राइट्स की सिफ़ारिशों पर निविदा आमंत्रण नोटिस तैयार करेगा, जो संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित किए जाएंगे।
- राइट्स और पीएमएमईए संबंधित क्षेत्रीय रेलों से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद,
 उपयुक्त ई-निविदा मंच से एनआईटी/निविदा दस्तावेज, निविदा का परिशिष्ट/शुद्धिपत्र
 अपलोड करेंगे।

- पीएमएमईए द्वारा यथा संभावित अनुमानित आय को संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- पीएमएमईए निविदाएँ प्राप्त करेगा और उनका मूल्यांकन करेगा।
- राइट्स निविदा स्वीकार करेगा और स्वीकृति पत्र जारी करेगा।
- क्षेत्रीय रेलवे करार पर हस्ताक्षर करेगी और उसका कार्यान्वयन करेगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

54016

(रंजन पी. ठाकुर) कार्यपालक निदेशक (यातायात वाणिज्य) गैर किराया राजस्व रेलवे बोर्ड

सं. 2017/एनएफआर/1/1

नई दिल्ली, दिनांक 10/01/2017

प्रतिलिपि वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

84410

कृते वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड